

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: प.1(1)चि.स्वा./गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक: 09.05.2021

आदेश

मेडिकल कालेज, जोधपुर एवं उदयपुर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत इन मेडिकल कॉलेजों की Faculty की Mentoring एवं जिले में समुचित कोविड प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय दल का गठन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पद	आवंटित जिला
1	डा. रमन शर्मा, वरिष्ठ आचार्य (मेडिसिन), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	जोधपुर
2	डा. विनोद गर्ग, राज्य क्षय रोग अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर	
3	डा. एस. बनर्जी, वरिष्ठ आचार्य (मेडिसिन), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	उदयपुर
4	डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, राज्य नोडल अधिकारी (टेली मेडिसिन), मुख्यालय, जयपुर	

उक्त राज्य स्तरीय दल तत्काल जिला कलक्टर तथा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं Faculty की Mentoring के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के Covid Consultation Centre एवं Covid Care Centre की स्थापना तथा Door to Door Survey (एवं दवाई वितरण) के कार्य को सुचारु करने का कार्य किया जाएगा।

रु

उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
8. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
10. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/उदयपुर
12. संबंधित अधिकारी
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव